

15 ⁰⁵/₂₄



पत्रावली पैरा 10.1 वृत्तलाप उप.।

मूल दावा स्वीकार किया जा चुका है। जिससे उक्त

T.I. प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

लिहाजा उक्त T.I. प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं

रहने से उक्त T.I. प्र. पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

3
सहायक क्लर्क एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली